[1][Rule 67A : Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility

Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or a Nil statement in **FORM GST CMP-08** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies or statement through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies or statement shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

---

1 Rule 67A substituted by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f. 15-10-2020. It is made effective from 08-06-2020 by Noti. No. 44/2020–Central Tax, dt. 08-06-2020. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[Rule 67A : Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility**

Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation : For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B** or **FORM GSTR-1**, as the case may be.]"

A Earlier rule 67A substituted by Noti. No. 58/2020–Central Tax, dt. 01-07-2020 w.e.f. 01-07-2020. Earlier to substitution it read as under:

"[B][**Rule 67A : Manner of furnishing of return by short messaging service facility**

Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation **:** For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in FORM GSTR-3B.]"

B Earlier rule 67A inserted by Noti. No. 38/2020–Central Tax, dt. 05-05-2020 w.e.f. 08-06-2020.

Explanation- For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies or Nil statement shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37 or statement under rule 62, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B** or **FORM GSTR-1** or **FORM GST CMP-08**, as the case may be.**]**

[1][नियम 67क : अल्प संदेशकारी सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की रीति

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, जिससे कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में शून्य विवरणी या धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के शून्य ब्यौरे या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–8** में शून्य विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति किसी निर्देश में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का प्रयोग करने वाली अल्प संदेशकारी सेवा के माध्यम से जावक प्रदायों की उक्त विवरणी या ब्यौरे या विवरण प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा और जावक प्रदायों की उक्त विवरणी का किसी रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, जावक प्रदायों की शून्य विवरणी या उनके शून्य ब्यौरे या शून्य विवरण से किसी कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी या धारा 37 के जावक प्रदायों के ब्यौरे या नियम 62 के अधीन विवरण अभिप्रेत होगा, जिसमें, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** या **प्ररूप जीएसटीआर–1** या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–8** की सभी सारणियों में कुछ नहीं है या कोई प्रविष्टि नहीं है।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा नियम 67क प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। ये प्रावधान अधिसूचना क्रमांक 44/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.06.2020 द्वारा दिनांक 08.06.2020 से प्रभावशील किए गए। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[A][**नियम 67क : लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध**

इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिक मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में किसी कर की अवधि 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–1** में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरें का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित ''वन टाइम पासवर्ड'' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** या **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो।]"

A पहले अधिसूचना क्रमांक 58/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2020 द्वारा नियम 67क प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2020) किया गया था। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[B][**नियम 67क : लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध**

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के सिकी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो।]"

B इसके पहले अधिसूचना क्रमांक 38/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.05.2020 द्वारा यह नियम 67क अंतःस्थापित किया गया था।